FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा,राजस्थान

जगदीश पुत्र श्री मांगीलाल बनाम मनोहर लाल पुत्र श्री रामलाल

किस्म मुकदमा/धाराः– प्रार्थना - पत्र | 111-128

प्रकरण संख्या 23 /2026 जी.सी..एम.एस. नम्बरः–.............................

रीख क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ए/ 02 26	प्रार्थना–पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 23 / 02 /2026 को वास्ते इन्तजार तामील/तलबी रिपोर्ट पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा	
2/2026	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणो की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणो को 3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। समस्त विपक्षीगणो के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए। पत्रावली मे आदेश पारित किए गए। पत्रावली मे आदेश पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी • बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा •	

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बिजौलियॉ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 23/26 पत्थरगढी

तारीख दायर – 10/2/2026
निर्णय ता. – 23/2/2026

1. जगदीश पुत्र श्री मांगीलाल जी दतक पुत्र श्री मोहन जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सदा राम जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. मनोहर लाल पुत्र श्री रामलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सदा राम जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
2. भू–स्वामी श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0) ....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11–128 रा0ले0रे0 एक्ट

:–आदेशः–

दिनांक 23/02/2026

प्रार्थनापत्र **प्रार्थी जगदीश धाकड़** ने जरिये अभिभाषक **श्री ओमप्रकाश धाकड** ने प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल खाते कि भुमि **ग्राम सतकुन्डिया पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 33 पर अंकित आराजी संख्या 506/31 रकबा 0.8579 हैक्टेयर,** भुमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं। प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2073–2076** के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **ग्राम सतकुन्डिया पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 33 पर अंकित आराजी संख्या 506/31 रकबा 0.8579 हैक्टेयर, भूमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलिया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 23 / 26 पत्थरगढी

तारीख दायर - 10/2/2026
निर्णय तारीख - 23/2/2026

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियॉ

विषय :- प्रकरण संख्या ....23. / 26......................प्रत्थरगढी बाबत्।

1. जगदीश पुत्र श्री मांगीलाल जी दतक पुत्र श्री मोहन जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सदा राम जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. मनोहर लाल पुत्र श्री रामलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सदा राम जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
2. भू–स्वामी श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0) ....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्र्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **ग्राम सतकुन्डिया** पटवार हल्का **रेसुन्दा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 33 पर अंकित आराजी संख्या 506 / 31 रकबा 0.8579 हैक्टेयर, भूमि** की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **कांस्या** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियॉ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते